ायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम कुण्डियाकंला तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर (आर.ए.एस.)

) – 42/2018

उनवान

1 श्रीमति दुर्गादेवी पत्नि ताराचन्द नायक उम्र वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

——————(प्रार्थी)

बनाम

1. तेजराम पिता नाथु गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. श्याम सुन्दर पिता नाथु गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. पवन कुमार पिता नाथु गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. रामस्वरूप पिता घीसा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5. सत्यनारायण पिता घीसा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

——————(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

: : निर्णय : : दिनांक – 30.05.2018

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 18.01.2018 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम कुण्डियाकंला पटवार मण्डल कुण्डियाकंला भू0अ0नि0 रायला तहसील बनेड़ा** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या 1377 के आ0न0 4458/1427 रकबा 02–05 बीघा**, स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 18.01.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी सूचना पत्र बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। प्रकरण को राजस्व लोक अदालत 2018 केम्प कुण्डियाकंला में दिनांक 30.05.2018 के लिए पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 की और से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार जोशी द्वारा वकालत नामा एंव जवाब प्रार्थनापत्र पूर्व में प्रस्तुतशुदा होकर आज रिकार्ड पर लिया गया। विपक्षीगणो की और से आज शिविर मे कोई हाजिर नही । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

: : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम कुण्डियाकंला पटवार मण्डल कुण्डियाकंला भू0अ0नि0 रायला तहसील बनेड़ा** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या 1377 के आ0न0 4458/1427 रकबा 02–05** बीघा, भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक रायला को 300/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.05.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम कुण्डियाकंला में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाडा